17-7-XVII को पेश हो।

29-5-XVIII पैरोकार राय द्वारा नामान्तरण सं० 188 प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। शामिल हो. नामान्तरण के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तामील की जा चुकी है, अतः पत्रावली नस्तीबद्ध की जाती है. पत्रावली दाखिल पंजिका के क्रम से कम्प्यूटर कर निर्णय की सूचि में शामिल हो.

(श्रीमती) रेना छोम